नवोदय विद्यालय समिति
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(शिक्षा विभाग, भारत सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
(Ministry of Education, Govt. of India Deptt. Of School Education & Literacy)
Regional Office (क्षेत्रीय कार्यालय)
7/24, गोमती नगर विस्तार, निकट पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, पिन कोड–226002
7/24, Gomti Nagar Vistar, Near Police Headquarter, Lucknow, Pin Code-226010
E-Mail:-contact@nvsrolko.org, Website:-www.nvsrolko.org

फ–6–19(सामान्य)/नविस–2023–24(लक्षे)/वि.प्र./ दिनांक : 11.05.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
लखनऊ सम्भाग।

विषय : सत्र 2023–24 हेतु विद्यालयों में कय–प्रकिया पूर्ण करने के लिए दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय/महोदया,

नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय, नोएडा व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–2 पर कय–प्रकिया पूर्ण करने सम्बन्धी जारी दिशा–निर्देशों एवं इस कार्यालय से निर्गत समसंख्यक पत्रांक दिनांक 06.03.18 एवं लखनऊ सम्भाग के समस्त विद्यालयों को GeM Portal से सामानों की आपूर्ति व सर्विस लेने हेतु मुख्यालय से प्राप्त परिपत्रों को संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि पालना सुनिश्चित करें:

- जो वस्तुएं व सेवाएं GeM Portal पर उपलब्ध हैं उन्हें जी.एफ.आर. के नियम 149 के तहत GeM Portal के माध्यम से कय किया जायेगा व विद्यालय की आवश्यकतानुसार जो वस्तुओ/सेवाएं GeM Portal पर उपलब्ध नही हो उन्हें नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार निविदा प्रकिया अपनाकर कार्यवाही 10.06.2023 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- GeM Portal पर आवश्यकतानुसार वस्तुओं की उपलब्धता न होने की दशा में जी.एफ. आर. 154–155 के तहत निविदा प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा सूचना को न केवल विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बल्कि निविदा प्रपत्र को भी विद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु अनिवार्यकिया गया है, जिससे निविदादाता बिना विद्यालय आये विद्यालय की वेबसाइट से आवश्यकतानुसार निविदा फार्म को डाउनलोड करके निविदा प्रकिया में भाग ले सके। निविदा को CPPP (केन्द्रीय लोक प्राप्ति पोर्टल) पर भी अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा सूचना में विद्यालय वेबसाइट के पते का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाय जिससे इच्छुक निविदादाता सम्बन्धित विद्यालय की वेबसाइट से निविदा फार्म को आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सके। आवश्यकतानुसार निविदा की नियम एवं शर्तो में भी आवश्यक संशोधन किया जाय तथा इस बात का भी उल्लेख किया जाय कि वेबसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा को भरते समय निविदादाता को धरोहर/जमानत धनराशि के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य को सम्मिलित करते हुए डिमान्ड ड्राफ्ट लगाया जाय अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

- ❖ निविदा प्राचार्य द्वारा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति के नामित अधिकारी तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में नियमानुसार खोली जायेगी।

लखनऊ सम्भाग के सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सत्र **2023–24** के लिए विद्यालय में सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय–प्रक्रिया 10.06.2023 तक पूर्ण करें, जिससे छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली सामग्रियॉं उन्हें समयानुसार उपलब्ध करवायी जा सके। क्रय–प्रक्रिया में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

उक्त पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

11/05/23

(जनार्दन उपाध्याय)

उपायुक्त प्रभारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति के नामित को प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से इस विनम्र अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रयोग हेतु क्रय की जाने वाली सामग्रियों के लिए विद्यालय द्वारा अपनायी गयी सम्पूर्ण क्रय–प्रक्रिया पर अपने अवलोकन (observation) से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।
2. सभी सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारियों को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध से प्रेषित है कि कृपया अपने–2 संकुल के विद्यालयों में सत्र 2022–23 हेतु गुणवत्ता पूर्ण सामग्रियों के क्रय के सम्बन्ध में नियमों के अनुसार क्रय करवाना सुनिश्चित करें।
3. सहायक आयुक्त(प्रशा.), नविस, लखनऊ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर उपरोक्त पत्र अपलोड करवायें।
4. आयुक्त, नविस, मुख्यालय, नोएडा के वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री आशीष कुमार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेब–साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।